

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1196 सन 2021

अनवान :-

1. भोजराज पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. धनश्याम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. सार्दुल पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. विरसिंह पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. मोमनराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
5. रणजीत पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
6. शारदा पुत्री निकुराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 13.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 12 डीपीएन के खाता संख्या 124/124 की कुल 1.4930हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामी पत्नी नन्दराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामी पत्नी नन्दराम के नाम से दर्ज है जो वादी की माता है रामी पत्नी नन्दराम का देहान्त हो चुका है रामी पत्नी नन्दराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो रामी पत्नी नन्दराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है तथा रामी पत्नी नन्दराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं निकुराम के पक्ष में की गई थी निकुराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ,6 है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 6 प्रतिवादी 5 की बहने है एवं निकुराम पुत्र नन्दराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रामी पत्नी नन्दराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामी पत्नी नन्दराम के नाम से दर्ज है जो वादी की माता है रामी पत्नी नन्दराम का देहान्त हो चुका है रामी पत्नी नन्दराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो रामी पत्नी नन्दराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है तथा रामी पत्नी नन्दराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं निकुराम के पक्ष में की गई थी निकुराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ,6 है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 12 डीपीएन के खाता संख्या 124/124 की कुल 1.4930हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामी पत्नी नन्दराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामी पत्नी नन्दराम के नाम से दर्ज है जो वादी की माता है रामी पत्नी नन्दराम का देहान्त हो चुका है रामी पत्नी नन्दराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो रामी पत्नी नन्दराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है तथा रामी पत्नी नन्दराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं निकुराम के पक्ष में की गई थी निकुराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ,6 है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 डीपीएन के खाता संख्या 124/124 की कुल 1.4930हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामी पत्नी नन्दराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... रामगढ़.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भोजराज पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. धनश्याम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. सार्दुल पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. विरसिंह पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. मोमनराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
5. रणजीत पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
6. शारदा पुत्री निकूराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1196 सन 2021 निर्णय दिनांक- 13.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 डीपीएन के खाता संख्या 124/124 की कुल 1.4930 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामी पत्नी नन्दराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट....रामगढ